

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

फार्म-W.P.-1

विधवा/निराश्रित पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. शिनाखी चिन्ह
4. आपका जन्म किस वर्ष में हुआ ? आयु
5. क्या आप अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं ? हां नहीं
6. क्या आप पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं ? हां नहीं
7. पता जिस पर पेंशन लेने के इच्छुक हैं ।
8. (क) आप हरियाणा राज्य में कब से रह रहे हैं ।
- (ख) पता जिस पर रह रहे हैं।
- (ग) क्या आप हरियाणा के अधिवासी (Domicile) हैं ?
9. (क) आपकी अपनी प्रतिमास कितनी आमदनी है ?
- (ख) अचल सम्पत्ति जैसा कि मकान, जमीन का विवरण ।
- (ग) आजकल आप किसके साथ रहती हैं ?

पिता पुत्र/पौत्र पति.....
अन्य

- (घ) क्या वह आपका खर्च उठाते हैं ?
10. (1) केवल विधवा औरतों के लिए :
- (क) पति की मृत्यु कब हुई ?
- (ख) मृत्यु से पहले पति का व्यवसाय तथा आमदनी ।
- (2) केवल बेसहारा, विवाहित औरतों के लिए :
- (क) पति के कमाने योग्य न होने के कारण ?
- (ख) यदि पति ने छोड़ दिया है/गायब है तो कब से
- (3) केवल बेसहारा अविवाहित औरतों के लिए :
- (क) यदि आपके पिता जीवित हैं तो वे आपकी देखभाल क्यों नहीं कर सकते ?
11. (क) आपको कोई आर्थिक सहायता/पेंशन भी मिलती है ? हां नहीं
- (ख) यदि हां, तो प्रतिमास कितनी ? रुपये प्रतिमाह

सत्यापित

सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
नाम तथा पद

आवेदक के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/कुं पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री

निवासी डाकखाना तहसील जिला

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर लिखा गया ब्यौरा मेरे ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि उपरोक्त विवरण में से कोई भी बात गलत पाई जाती है तो मैं पेंशन में मिली सारी राशि सरकार को दण्ड सहित भुगतान करने का उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

अतः मैं अपने साधनों से अपना गुजारा करने में असमर्थ हूँ। मुझे सरकारी सहायता दी जाये।

साक्ष्यांकित

आवेदक के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

गांवों में पंच/सरपंच/नम्बरदार/भूतपूर्व सरपंच तथा शहरों में म्यूनिसिपल कमिश्नर/भूतपूर्व म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन्चार्ज नगरपालिका आवेदन-पत्र सत्यापित /साक्ष्यांकित करने में सक्षम होंगे।

जांच समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष

1. आयु
2. आवेदक की मासिक आमदनी
3. क्या आवेदक हरियाणा का स्थाई अधिवासी (Domicile) है ?
4. क्या पति/पुत्र/पौत्र कोई भी आवेदक का खर्चा नहीं उठाता ?
5. क्या आवेदक को कोई पेंशन मिलती है ?
यदि हां, तो मासिक दर।

जांच समिति की सिफारिशें

1. आवेदक विधवा/निराश्रित पेंशन के योग्य है ?
2. आवेदक पेंशन के योग्य नहीं है, कारण दीजिए।
3. आवेदक की पात्रता विवादास्पद है, कारण दीजिए।

हस्ताक्षर सदस्य जांच समिति पद संज्ञा

हस्ताक्षर सदस्य जांच समिति पद संज्ञा

विवादास्पद आवेदनों पर जिला समिति का निर्णय

4. जिला स्तरीय समिति का आवेदन-पत्र पर अन्तिम निर्णय।

सदस्य सचिव
जिला समिति

अध्यक्ष
जिला समिति